**संख्या-346/2016/4482जेएल/22-3-16-800(170)/2011**

**प्रेषक,**

**हरि नारायण गिरि,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
हरदोई।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2016***

**विषय-** नारी बंदी निकेतन, लखनऊ की महिला बंदी सुन्दारा पुत्री श्री जफ्फू, निवासी-ग्राम-ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई(वर्तमान पता-मो0 फतेहगंज, थाना-मल्लावां, जनपद-हरदोई) को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नारी बंदी निकेतन, लखनऊ की महिला बंदी सुन्दारा पुत्री श्री जफ्फू, निवासी-ग्राम-ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई(वर्तमान पता-मो0 फतेहगंज, थाना-मल्लावां, जनपद-हरदोई) को शासनादेश संख्या-236/2016/2659जेएल/22-3-16-800(170)/2011, दिनांक 27-06-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

**संख्या-346/2016/4482जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ। (फैक्स नं0-0522-2828048)
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in